ई-मेल (12)

यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश

सेक्टर-18, वृन्दावन योजना, मोहनलालगंज, पो0 कल्ली पश्चिम, लखनऊ

ई-मेल: dirtraffic@nic.in दूरभाष-0522-2668053 फैक्स-2668054

पत्र संख्या: डीटी-714-2018/ 461 दिनांक: फरवरी 12 , 2019

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक ,
प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश

कृपया सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या: RT-11031/01/2011-MVL दिनांक 31-01-2019 एवं इसके साथ संलग्न पत्र दिनांक 17-12-2018, 8-08-2018, 19-11-2018 एवं अधिसूचना दिनांक 02-11-2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेन्स कराये जाने, वाहनों से सम्बन्धित कागजात यथा- ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं बीमा सहित परिवहन से सम्बन्धित अन्य प्रमाण-पत्रों को इलेक्ट्रानिक फार्म में रखने/प्रदर्शित किये जाने आदि के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

2- भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र दिनांक 31-01-2019 में उल्लेख किया गया है कि वाहन मालिक अपनी बीमा पालिसी को एक निश्चित अवधि के बाद नवीनीकरण नही कराते हैं। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में मोटरयान का उपयोग तभी करेगा, जब उसके पास उस यान के उपयोग के सम्बन्ध में बीमा पालिसी प्रवृत्त है।

3- उक्त अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा कराया जाना अनिवार्य है। बिना बीमा चलने वाले वाहनों से सड़क दुर्घटना में मृत या घायल व्यक्तियों को आर्थिक क्षति पूर्ति नही हो पाती है। ऐसे वाहनों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस निदेशालय के परिपत्र दिनांक 14-02-2017, 21-02-2017 एवं 31-05-2017 द्वारा पूर्व में भी निर्देश निर्गत किये गये है।

4- उल्लेखनीय है कि मोटरयान अधिनियम,1988 की धारा-196 के अन्तर्गत यह भी प्रावधान है कि जो वाहन चालक धारा-146 का उल्लंघन करता है, वह अधिकतम तीन माह के कैद या अधिकतम रू0 1000/- का अर्थदण्ड अथवा दोनों की सजा के लिये दण्डनीय है।

5- इसके अतिरिक्त भारत सरकार के पत्र दिनांक 08-08-2018 में उल्लेख किया गया है कि इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के Digilocker Platform एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के mParivahan मोबाइल ऐप में नागरिकों के ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण-पत्र अथवा अन्य प्रमाण-पत्रों को इलेक्ट्रानिक फार्म में रखने की सुविधा है। Digilocker अथवा mParivahan पर उपलब्ध उक्त इलेक्ट्रानिक रिकार्ड सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार मूल दस्तावेजों के बराबर विधिक रूप से मान्यता प्राप्त माना जाता है। इस निदेशालय के परिपत्र दिनांक 10-10-2018 द्वारा पूर्व में भी निर्देश निर्गत किये गये हैं।

अत: आप कृपया सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र दिनांक 31-01-2019 एवं इसके साथ संलग्न पत्र दिनांक 17-12-2018, 8-08-2018, 19-11-2018 एवं अधिसूचना दिनांक 02-11-2018 में निहित निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि

(दीपक रतन)
पुलिस महानिरीक्षक, यातायात,
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि निम्नांकित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

संलग्नक: यथोपरि

निर्गत
12-2-2019

ई–मेल / पंजीकृत

कार्यालय परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या–62(शा0)सा0प्र0 / 2019–225टीआर / 18 लखनऊ दिनांक 26 फरवरी, 2019

1– समस्त उप परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी /
सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), उ0प्र0
3– समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन / प्रवर्तन), उ0प्र0।
4– समस्त यात्रीकर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

विषयः–डिजीलॉकर (Digilocker) या एम–परिवहन एप (mParivahan App) पर उपलब्ध वाहनों के अभिलेखों (Documents) को क्षेत्रीय पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा वैध माने जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–03 / 2019 / 1455 / तीस–4–2018, दिनांक 31.01.2019 द्वारा विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में विभिन्न तथ्यों का उल्लेख करने के साथ–साथ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या–आरटी 11036 / 64 / 2017–एमवीएल, दिनांक 08.08.2018 में निहित व्यवस्था एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–139 में निहित प्राविधान का उल्लेख करते हुये प्रश्नगत पत्र दिनांक 31.01.2019 में निहित व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

अतः शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 31.01.2019 की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित है कि शासन के पत्र में उल्लिखित व्यवस्था एवं उसके अनुपालन हेतु प्राप्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

(डॉ0 विक्रम सिंह)
उप परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0 62(शा0–1)सा0प्र0 / 2019–समदिनांकित।

प्रतिलिपि शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र संख्या–03 / 2019 / 1455 / तीस–4–2018, दिनांक 31.01.2019 की प्रति सहित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, यातायात, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अधिकारी (परिवहन आयुक्त के अतिरिक्त), मुख्यालय।
5. प्रभारी, परिवहन आयुक्त कैम्प कार्यालय।
6. डी0बी0ए0 (आऊट सोर्सिंग), मुख्यालय।
7. गार्ड फाइल।

(डॉ0 विक्रम सिंह)
उप परिवहन आयुक्त,

आवश्यक/महत्वपूर्ण

संख्या-03/2019/1455/तीस-4-2018

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4, लखनऊ : दिनांक 31 जनवरी, 2019

विषय:- डिजीलाकर (DigiLocker) या एम-परिवहन एप (mParivahan App) पर उपलब्ध वाहनों के अभिलेखों (Documents) को क्षेत्रीय पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा वैध माने जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज को डिजिटली संपन्न एवं सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। प्रमाण पत्रों के ऑनलाइन वेरिफिकेशन से प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होने के साथ-साथ प्रवर्तन कार्यों की प्रभावी मॉनीटरिंग एवं बेहतर अनुपालन भी सुनिश्चित हो पाता है।

2- इस सम्बन्ध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या-आरटी-11036/64/ 2017-एमवीएल, दिनांक 08 अगस्त, 2018 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंजीयन प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य प्रमाण पत्रों को डिजीलाकर (DigiLocker) में रखने की सुविधा प्रदान की गयी है तथा उक्त मंत्रालय द्वारा विकसित एम-परिवहन एप (mParivahan App) पर भी ऐसे अभिलेखों को इलैक्ट्रानिक रूप में रखने की सुविधा प्रदान की गयी है। इसी प्रकार इंश्योरेन्स इन्फोर्मेशन बोर्ड (Insurance Information Board) द्वारा भी नये एवं पुराने वाहनों के बीमा विवरण को वाहन डाटाबेस (VAHAN database) पर अपलोड करने की सुविधा प्रदान की गयी है, जो एम-परिवहन एप (mParivahan App) एवं ई-चालान एप (eChallan App) पर भी प्रदर्शित होता है।

3- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्राविधानों के अनुसार इलैक्ट्रानिक रूप से रखे गये अभिलेखों को मूल अभिलेख के समान वैधानिक स्वीकार्यता प्रदान की गयी है। इसी प्रकार केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-139 में यह प्राविधान किया गया है कि पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर चालक या परिचालक वाहन से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र यथा-पंजीयन पुस्तिका, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण-पत्र, बीमा इत्यादि प्रस्तुत करेगा।

4- यद्यपि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में इन्हें मान्यता प्रदान की गयी है, किन्तु प्रायः यह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि डिजीलाकर (DigiLocker) या एम-परिवहन एप (mParivahan App) पर उपलब्ध इन डाक्यूमेंट्स को क्षेत्रीय पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा वैध नहीं माना जा रहा है।

5- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डिजीलाकर (DigiLocker) प्लेटफार्म या एम-परिवहन मोबाइल एप (mParivahan App) पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उपलब्ध डाक्यूमेंट्स यथा- पंजीयन प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि को मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत वैध माना जाये तथा उन्हें परिवहन प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों (Documents) के समतुल्य समझा जाए। यदि प्रवर्तन कार्य के समय किसी अभियोग के अधिरोपित होने की स्थिति में वाहन के डाक्यूमेंट्स यथा- पंजीयन प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि को जब्त (Impound) करना आवश्यक हो तो प्रवर्तन अधिकारी डाक्यूमेंट्स को 'ई-चालान' (eChallan) सिस्टम द्वारा इलेक्ट्रानिक्ली जब्त (Impound) किया जाये, जिससे जब्त डाक्यूमेंट्स की स्थिति सारथी/वाहन डाटाबेस (SARATHI/VAHAN database) पर प्रदर्शित हो। किसी भी डाक्यूमेंट्स के भौतिक रूप से जब्त (Physical seizure) करना आवश्यक नहीं है।

6- कृपया इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु अपने स्तर से सभी सम्बन्धितों को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

29.01.19

(आराधना शुक्ला),
प्रमुख सचिव।

संo-03/2019/1455/तीस-4-2018-तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अपर परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।(द्वारा परिवहन आयुक्त)
2. समस्त उप परिवहन आयुक्त(परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश। (द्वारा परिवहन आयुक्त)
3. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।(द्वारा परिवहन आयुक्त)
4. समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन/प्रवर्तन), उ0प्र0।(द्वारा परिवहन आयुक्त)
5. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(वैभव श्रीवास्तव),
विशेष सचिव।